

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त, भारतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 91/2022 (GCMS No. 2022/96) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामजीलाल पुत्र श्रीचंद जाति मीना निवासी दलीलपुर तहसील व जिला करौली।

.....अपीलान्त

बनाम

आम ग्रामवासियान दलीलपुर तहसील व जिला करौली जरिये

1. सुरेश पुत्र प्रभू जाति मीना
2. पृथ्वी पुत्र रामहेत जाति मीना
3. हरि पुत्र जौहरी लाल जाति मीना
4. रामचरण पुत्र मूला जाति मीना
5. महेश पुत्र जौहरी जाति मीना

सभी निवासियान ग्राम दलीलपुर तहसील व जिला करौली

6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील करौली जिला करौली।



.....रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 20.06.2022 मु.नं. 07/22 उनवानी आम ग्रामवासी दलीलपुर बनाम रामजीलाल वगै.।

उपस्थिति:-

1. श्री नवलकिशोर शर्मा, वकील अपीलान्त
2. दानिश खॉन, वकील रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक : 17.07.2023


1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित जमीन अपीलान्त को करीब 47 साल पूर्व

1
अति. सभागीय आयुक्त
भारतपुर


आवंटित हुई थी। आवंटन के वक्त विवादित आराजी की किस्म सिवायचक भूमि रही है। और आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन सिफारिश के बाद तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर आवंटन अधिकारी ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करके अपीलान्त के हक में आवंटन किया है। उक्त आवंटन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्त को आवंटित भूमि वक्त आवंटन किस्म बारानी सिवायचक भूमि रही है और सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की सिफारिश के बाद तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर आवंटन अधिकारी ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करके अपीलान्त के हक में आवंटन किया है। आवंटित भूमि चारागाह बताई है। उक्त आवंटन मजमे आम में समस्त ग्रामवासियों की मौजूदगी व जानकारी में हुआ है। रेस्पोंडेंट ग्रामवासियान द्वारा अपीलान्त को आवंटित भूमि में मवेशी चराब की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई और न कोई आपत्ति की गई। पटवारी हल्का ने उक्त भूमि के चारागाह होने अथवा मवेशी चराब के उपयोग में आने बावत् कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अपीलान्त को आवंटित भूमि मौके पर काबिल काशत है जिसे अपीलान्त ने काबिल काशत बनाया है तथा पूर्व में भूमि जोत लगाकर काशत की गई है। आवंटित भूमि आवंटन के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में नियमानुसार काशत नहीं की गई। इस संबंध में गिरदावरी पर विश्वास किया है जबकि सत्यता यह है कि अपीलान्त आवंटी द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में तथा उसके पश्चात आगामी वर्षों में भूमि पर जोत लगाकर काशत की गई किन्तु संबंधित हल्का पटवारी द्वारा भूमि का भौतिक निरीक्षण किये बिना ही गिरदावरी भरी गई है। अपीलान्त के हक में भूमि आवंटन करीब 47 वर्ष पूर्व हुआ और अपीलान्त भूमिहीन कृषक है। आवंटनशुदा भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि अपीलान्त के पास नहीं है। अपीलान्त ने किसी भी नियम की अपालना नहीं की है। इसके बावजूद भी अपीलान्त का आवंटन महज तकनीकि आधार पर खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 20.06.2022 निरस्त किया जाकर अपीलान्त के हक में दिनांक 17.10.1975 को भूमि खसरा नम्बर 239/5 वर्तमान ख.नं. 289 रकवा 5 बीघा ग्राम दलीलपुर का आवंटन बहाल रखा जावे।





4. विद्वान वकील रेस्पोंडेंटगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसिल है। वकील रेस्पोंडेंटगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि उक्त भूमि चारागाह भूमि है। चारागाह भूमि का आवंटन किया गया। अपीलान्त के आवंटन आदेश में चारागाह दर्ज है। धारा 16 के तहत चारागाह भूमि का आवंटन नहीं हो सकता है। अपीलान्त विवादित भूमि पर कभी भी काबिज नहीं रहा है। उक्त भूमि पर कब्जा किसी और का है। अपीलान्त द्वारा कभी भी काशत नहीं की है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।
5. वकील अपीलान्त द्वारा रिवीटल में कथन किया कि मौके पर कब्जा व काशत अपीलान्त की है। अतः अपील स्वीकार की जावे।
6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 239 वांके ग्राम दलीलपुर वक्त आवंटन चारागाह रही है। उक्त आराजी में से अपीलान्त को रकवा 5 बीघा आवंटन करते हुये बटा नम्बर 239/5 आवंटित किया गया। जिसका हाल खसरा नम्बर 289 रकवा 1.27 हैक्टे. है। चारागाह भूमि धारा 16 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है। जिसको आवंटन नहीं किया जा सकता हो ऐसा कोई विधिक दस्तावेज अपीलान्त द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजी पर उनके द्वारा काशत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये सम्पूर्ण तथ्यों की गुणावगुण पर विवेचना करते हुये आदेश पारित किया है। जिसमें न्यायालय के मत में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।
7. अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 20.06.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अश्विनेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर